न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 135 दायर दिनांक : 05.10.2010

जानी देवी पत्नी हेतराम जाति बिश्नोई निवासी ग्राम मानकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) —वादी

बनाम

1. शिवराज पुत्र बेगाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (फौत)
   - 1/1. जयपाल
   - 1/2. रिछपाल
   - 1/3. कैलाश
   - 1/4. रामस्नेही

   पुत्रगण/पुत्री स्व. शिवराज अकवाम बिश्नोई निवासी वार्ड सं. 11, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
   - 1/5. विष्णु
   - 1/6. विकास

   पुत्रगण स्व. शिवराज अकवाम बिश्नोई निवासी 4 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. रामी देवी पत्नी धूंकलराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड सं. 15, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (फौत)
   - 2/1. रोशनी देवी पुत्री धूंकलराम पत्नी मनीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 26 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
   - 2/2. गोमती देवी पुत्री धूंकलराम पत्नी बलवन्तराम जाति बिश्नोई निवासी चक 26 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
   - 2/3. कृष्णलाल पुत्र धूंकलराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड सं. 15, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
   - 2/4. सावित्री देवी पुत्री धूंकलराम पत्नी ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी चक 57 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. कृष्णा देवी पत्नी हेतराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड सं. 15, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (फौत)
   - 3/1. हेतराम पुत्र लाधूराम
   - 3/2. सम्पत देवी पुत्री हेतराम
   - 3/3. संतोष देवी पुत्री हेतराम
   - 3/4. लक्ष्मी नारायण पुत्र हेतराम
   - 3/5. विष्णु पुत्र हेतराम

   अकवाम बिश्नोई निवासीयान वार्ड सं. 15 सूरतगढ़ तहसील सूरतगगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. वली मोहम्मद पुत्र मनीर खां जाति मुसलमान निवासी पुराने बस स्टेण्ड के सामने वाली गली, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

<u>वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थित :

1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक वादी
2. श्री सुभाष बिश्नोई, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1/2
3. श्री राम प्रताप तिवाड़ी, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 4
4. श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 2, 2/3
5. पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक : 11..01.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के विचारण बिन्दु इस प्रकार से हैं कि वादीया जानी देवी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकित काश्तकार राजेन्द्र पुत्र भगवानाराम एवं लाधूराम वल्द श्योजीराम अकवाम जाट निवासीयान क्रमशः 6 एस.एच.पी.डी. व 26 पी.बी.एन. से उनके नाम अंकित खातेदारी भूमि कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 355/6 में अंकित 25.00 बीघा भूमि में से 1.10 बीघा विशिष्ट भूमि बजरिये पंजीबद्ध विक्रय-पत्र दिनांक 20.05.1998 द्वारा खरीद किया। खरीद के विक्रय-पत्र में उसे हस्तान्तरित भूमि का अंकित खातेदारान काश्तकारों द्वारा बाईपास सड़क के उत्तर दिशा में, सड़क से चिपते हुए कृषि भूमि डेढ़ बीघा चौड़ाई व एक बीघा लम्बाई पर पूर्ण आसा-पासा अंकित करते हुए कब्जा दिया गया है। अंकित काश्तकारों को, जिनका भूमि पर पूर्ण अधिकार है, विशिष्ट भूमि विक्रय का अधिकार है। इसी अनुसार उनके द्वारा कब्जा दिया गया है। उक्त बैयनामा का बरवक्त नामान्तरण यह भूमि संयुक्त खाते में दर्ज कर दी गई जो कि एक तकनीकी त्रुटि है। वर्तमान में यह भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 की संयुक्त खाता संख्या 185 नई, 176 पुरानी में खसरा नं. 355/6 में 0.380 है0 बारानी हिस्सा वादीया के नाम, संयुक्त खाते में दर्ज है। वादीया ने विशिष्ट भूमि का क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, जिसमें अपनी भूमि की चारदीवारी कर इसमें पक्का कमरा व पानी की टंकी बनाई हुई है। इसी अनुसार वादीया का खरीद के आधार पर रोही कस्बा सूरतगढ़ के पूर्व खसरा नं. 355/6 कम्प्यूटर द्वारा बनाई गई जमाबन्दी में वर्तमान खसरा नं. 594/355, जो पूर्व खसरा 355/6 से बना है, में विक्रय-पत्र हस्तान्तरण अनुसार सूरतगढ़-हनुमानगढ़ से मानकसर जाने वाली बाईपास रोड पर डेढ़ बीघा (1.10 बीघा) पूर्व-पश्चिम चौड़ाई में व एक बीघा उत्तर दिशा में लम्बाई में रोड से चिपती हुई भूमि को खरीद के आधार पर खातेदार घोषित करने व इसी अनुसार खाता विभाजन कर खरीद की गई भूमि का अलग खाता कायम करने की प्रार्थना की गई।

वाद-पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से श्री आनन्द स्वामी, प्रतिवादी सं. 3 की ओर से श्री प्रदीप कुमार, प्रतिवादी सं. 4 की ओर से श्री राम प्रताप तिवाड़ी व प्रतिवादी सं. 2/1 की ओर से श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी अभिभाषक उपस्थित आये एवं जवाब-दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के द्वारा जवाब-दावा में अच्छी में अच्छी व खराब में से खराब का खाता विभाजन चाहा गया। प्रतिवादी सं. 4 ने कब्जा अनुसार खाता विभाजन चाहा। प्रतिवादी सं. 1/2 की ओर से वाद निरस्त कर, प्रत्येक काश्तकार का मुताबिक हिस्सा सड़क को ध्यान रखकर खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिदावा का जवाब भी वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 3 द्वारा प्रतिदावा पेश कर विक्रय-पत्र अनुसार स्वयं का खाता विभाजन करने की प्रार्थना की गई। नामान्तरण संयुक्त खाते में विक्रय-पत्र विशिष्ट भूमि का होते हुए गलत दर्ज किया है। मूल वाद

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

के प्रतिवादीगण सं. 1, 2 व 3 के मृत्यु होने के कारण उनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया एवं बाद आने जवाब निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

1. आया कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 67 की संयुक्त खाता संख्या 185/176 में अंकित खसरा संख्या 355/6 में 6.325 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि 0.380 है0 की अंकित खातेदार कृषक है ? (वादी)
2. आया वादी द्वारा तनकी सं. 1 में अंकित अपनी 0.380 है0 यानि 1.10 बीघा खातेदारी कृषि भूमि पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 20.05.1998 में अंकन नक्शानुसार विशिष्ट भूमि खरीद की हुई है और इसी अनुसार कब्जा काश्त में चली आ रही विशिष्ट भूमि का अपने आपको खातेदार कृषक घोषित करवाते हुए अपना अलग खाता राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में अंकन करवाने की अधिकारी है ? (वादी)
3. आया वाद–पत्र में अंकित विवादित कृषि भूमि संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा तक अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब भूमि का ही विभाजन करवाने के अधिकारी हैं ? (प्रतिवादी सं. 2)
4. आया प्रतिवादी अपने नाम से कस्बा सूरतगढ़ की खसरा सं. 355/6 की 6.325 है0 में से अपने नाम से अंकित 3.162 है0 बारानी खातेदारी जवाबदावा की मद सं. 6 में अंकन अनुसार मौका पर कब्जा काश्त में चली आ रही का खाता विभाजन द्वारा अपना अलग खाता कायम करवाने का अधिकारी है ? (प्रतिवादी सं. 4)
5. आया प्रतिवादी सं. 1/1 व 1/2 वादग्रस्त संयुक्त खाता की कृषि भूमि में अपने 0.127 है0 खातेदारी कृषि भूमि विभाजन द्वारा बाईपास सड़क पर व पीछे की तरफ प्राप्त करने के विधिक रूप से अधिकारी हैं ? (प्रतिवादी सं. 1/2)
6. आया प्रतिवादी सं. 3 वादग्रस्त संयुक्त खाता में अंकित कुल 6.325 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में 1.581 है0 की अंकित खातेदार है ? (प्रतिवादी सं. 3)
7. आया प्रतिवादी सं. 3 के द्वारा अपने नाम से अंकित 1.581 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि पंजीबद्ध बैयनामा 21.02.1998 में अंकित नक्शानुसार खसरा नं. 355/6 में 1.581 है0 खरीदशुदा मौका पर कब्जा में चली आ रही विशिष्ट कृषि भूमि जो प्रतिवाद–पत्र की मद सं. 2 में अंकित अनुसार अपने आपको खातेदार कृषक घोषित करवाने और इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी व राजस्व नक्शा में तरमीम द्वारा अंकन करवाने की अधिकारी है ? (प्रतिवादी सं. 3)
8. अनुतोष।

बाद कायमी तनकीयात साक्ष्य प्राप्त किये गये। वादीया द्वारा स्वयं एवं प्यारेलाल दत्तक पुत्र मनफूल बिश्नोई के शपथ–पत्र पर बयान करवाये गये जिनका प्रतिपरीक्षण किया गया, इसके साथ ही वादीया द्वारा नवीनतम जमाबन्दी, असल विक्रय–पत्र प्रस्तुत किया गया और प्रदर्श अंकित करवाये।

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

दस्तावेज बैयनामा में वादीया को रोही कस्बा सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी की खाता सं. 62 के खसरा नं. 355/6 में 1.10 बीघा भूमि बाईपास सड़क के उत्तरी पासा में, सड़क पर चौड़ाई में 1.10 बीघा व 1.00 बीघा लम्बी का कथन मय आसा–पासा अंकित है। दौराने वाद प्रतिवादी सं. 2 रामी देवी के वारिस प्रतिवादी सं. 2/1 द्वारा प्रतिवाद पत्र संशोधन का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि न्यायोचित ना होने पर निरस्त किये जाने एवं प्रतिवादी सं. 3 के वारिसान में से प्रतिवादीगण सं. 3/1, 3/4 व 3/5 के द्वारा उनकी विशिष्ट खरीदशुदा संयुक्त खाता में अंकित भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील सं. 131/2013 में दिनांक 08.12.2017 को पारित निर्णय की पालना में वाद–पत्र में अंकित कृष्णादेवी की भूमि का खसरा अलग रिकॉर्ड में पैमूद एवं तरमीम और अंकन कर दिये जाने के कारण प्रतिवाद पत्र वापिस लेने का दस्तावेज फार्म सं. 3 के साथ संलग्न कर नकल जमाबन्दी, राजस्व नक्शा व तरमीम नोट सहित प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार करते हुए प्रतिवाद पत्र वापिस लेने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 04.10.2023 को उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात् प्रतिवादी सं. 2/1 के द्वारा एक प्रार्थना–पत्र नगरपालिका सूरतगढ़ को पक्षकार बनाने का पेश किया गया, जिस पर बाद सुनवाई इसे निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये और वाद–पत्र में उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण व तहसीलदार की बहस सुनी गई।

पत्रावली में अपनी बहस में विद्वान अभिभाषक वादीया ने वाद कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया द्वारा बजरिये पंजीबद्ध विक्रय–पत्र दिनांक 20.05.1998 को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 355/6 की 25.00 बीघा में से 1.10 बीघा बारानी खातेदारी विशिष्ट भूमि खरीद की गई। हस्तान्तरण पंजीयन लेख में अंकित काश्तकार राजेन्द्र वल्द भगवानाराम एवं लाधूराम वल्द श्योजीराम ने हस्तान्तरण पत्र में विशिष्ट भूमि दर्शाते हुए उक्त 1.10 बीघा भूमि का हस्तान्तरण पत्र उप पंजीयक सूरतगढ़ के समक्ष पंजीबद्ध करवाया एवं कब्जा विशिष्ट भूमि का आसा–पासा दर्शाते हुए वादीया को प्रदान किया, जिसके अनुसार उक्त भूमि 1.10 बीघा भूमि बाईपास सड़क पर चौड़ाई में व एक बीघा लम्बी का हस्तान्तरण किया गया है व आसा–पासा को दर्शाया गया है जिसमें पूर्वी पासा में चन्दूराम माली, पश्चिम में कृष्णा देवी की भूमि, उत्तर में रामस्वरुप की कृषि भूमि, दक्षिण में बाईपास रोड हनुमानगढ़–मानकसर दर्शाई हुई है। इसी अनुसार वादीया का कब्जा है। भूमि के हस्तान्तरण विलेख में अंकित विक्रेतागण काश्तकारों द्वारा सम्मिलित रुप से विशिष्ट भूमि का हस्तान्तरण होते हुए भी बरवक्त नामान्तरण रोही कस्बा सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में सहकाश्त में अंकित कर दिया जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 की खाता सं. 185 नई, 176 पुरानी में खसरा नं. 355/6 की 6.325 है० बारानी भूमि में शिवराज पुत्र बोगा राम बिश्नोई 0.127 है०, रामीदेवी पत्नी धूंकलराम बिश्नोई 1.075 है०, जानीदेवी पत्नी हेतराम बिश्नोई 0.380 है०, कृष्णादेवी पत्नी हेतराम 1.581 है० साकिन देह व वलीमोहम्मद पुत्र मुनीर खां जाति कलाल 3.162 है० का सहकाश्त में जमाबन्दी में अंकन है जबकि खरीद के आधार पर मुताबिक खरीद खाता अलग कर वादीया का खाता खरीद अनुसार पैमूद होकर आसा–पासा का नक्शा बनाकर अलग कायम होना चाहिये

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

था। वादीया खरीद की दिनांक से हस्तान्तरण पत्र में अंकित अनुसार विशिष्ट खरीद की गई कृषि भूमि पर काबिज है व मौका पर चारदीवारी बनाकर व पानी की टंकी एवं कमरे का निर्माण करवा कर काबिज चली आ रही है। वादीया खरीद अनुसार काबिज है। मौका पर पटवारी द्वारा नक्शा बनाकर वादीया को खरीद अनुसार काबिज भी बताया है। वादीया खरीद अनुसार स्वयं को खातेदार घोषित करवाकर खाता अलग करवाने का व अपने खाता का अलग नक्शा बनवाने की हकदार है। वादीया बाईपास रोड पर 1.10 बीघा पूर्व–पश्चिम चौड़ाई में व एक बीघा उत्तर दिशा में लम्बाई में खरीद अनुसार रोही सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 खाता सं. 185 नई, 176 पुरानी में अंकित खसरा नं. 355/6 की 6.325 है0 बारानी खातेदारी (जो कि वर्तमान में कम्प्यूटर द्वारा बनाई गई जमाबन्दी में दिये गये वर्तमान खसरा नं. 594/355 में अंकित) भूमि में अपनी 1.10 बीघा यानि 0.380 है0 बारानी भूमि का कब्जा अनुसार अलग खाता कायम करवाने की अधिकारिणी है। वर्तमान में यह खाता वाद चलन के दौरान नया खाता रोही सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता सं. 102 नया, 24 पुराना में खसरा सं. 594/355 में 6.325 है0 का खाता है। वादीया ने वाद के समय की जमाबन्दी पेश की है व वर्तमान जमाबन्दी भी संलग्न वाद हो चुकी है। इसी अनुसार खाता विभाजन कर वादीया का खरीद अनुसार खाता अलग कर राजस्व नक्शा में तरमीम करने की प्रार्थना की व वादीया का वाद पूर्ण रुप से सिद्ध होना बताया एवं असल विक्रय–पत्र का अवलोकन करवाया।

योग्य अभिभाषक प्रतिवादी सं. 2/3 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रश्नगत भूमि नगरपालिका की है। वादीया का कब्जा नहीं है, इसलिए वाद वादीया निरस्त करने की प्रार्थना की गई। योग्य अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1/2 द्वारा सभी काश्तकारों को सड़क पर अनुपातिक रूप में भूमि देते हुए खाता विभाजन की प्रार्थना की गई। योग्य अभिभाषक प्रतिवादी सं. 4 द्वारा मौका पर कब्जा अनुसार विशिष्ट भूमि का उनको खातेदार घोषित करते हुए उनका खाता विभाजन की प्रार्थना की गई। पैरोकार राज ने राज्यहित को ध्यान में रखते हुए वाद निर्णय की प्रार्थना की।

पक्षकारान की बहस का श्रवण करने के उपरान्त बहस के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का गहन पठन व मनन किया गया एवं तनकीवार विवेचन व विचारण निम्न प्रकार से कर निर्णय पर पहुंचा :–

तनकी नं. 1 – <u>आया कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 67 की संयुक्त खाता संख्या 185/176 में अंकित खसरा संख्या 355/6 में 6.325 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में 0.380 है0 की अंकित खातेदार कृषक है ?</u> (वादी)

इस तनकी का भार वादीया पर था। दस्तावेजी रिकार्ड वाके रोही कस्बा सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 के संयुक्त खाता सं. 185/176 में खसरा नं. 355/6 की 6.325 है0 बारानी खातेदारी भूमि में वादीया 0.380 है0 बारानी भूमि की खातेदार अंकित है। जमाबन्दी दस्तावेजी रिकार्ड है। बाद की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 रोही कस्बा सूरतगढ़ खाता संख्या 102/24 में खसरा नं. 594/355 में भी यही भूमि 6.325 में 0.380 हैक्टयर बारानी भूमि वादीया के नाम दर्ज है। वादीया पूर्व खसरा नं. 355/6 व वर्तमान

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

जमाबन्दी में अंकित खसरा नं. 594/355 की 6.325 है0 में 0.380 हैक्टयर बारानी भूमि की अंकित खातेदार काश्तकार है जो कि राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दियों से प्रथम दृष्टया साबित है। दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी राजस्व दस्तावेज है जो कि एक सार्वजनिक दस्तावेज (Public document) की तारीफ में आता है, जिस पर विश्वास किये जाने की पूर्व सोच (Presumption) ऐसे दस्तावेज के साथ स्वयंमेव जुड़ी हुई होने से तनकी नं. 1 संदेह से परे सिद्ध होने से बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 2 – आया वादी द्वारा तनकी सं. 1 में अंकित अपनी 0.380 है0 यानि 1.10 बीघा खातेदारी कृषि भूमि पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 20.05.1998 में अंकन नक्शानुसार विशिष्ट भूमि खरीद की हुई है और इसी अनुसार कब्जा काश्त में चली आ रही विशिष्ट भूमि का अपने आपको खातेदार कृषक घोषित करवाते हुए अपना अलग खाता राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में अंकन करवाने की अधिकारी है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीया पर था। वादीया के स्वयं के शपथ–पत्र व स्वतंत्र गवाह के बयान से असल पंजीबद्ध दस्तावेज हस्तान्तरण विलेख दिनांक 20.05.1998 से यह सिद्ध किया है कि विक्रेतागण राजेन्द्र वगैरह द्वारा वादीया को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 355/6 के 6.325 होकर अपने नाम अंकित भूमि में 0.380 हैक्टयर भूमि का हस्तान्तरण विशिष्ट भूमि का वर्णन करते हुए विशिष्ट भूमि का बेचान किया था। इस दस्तावेज में विशिष्ट भूमि का आसा–पासा भी हस्तान्तरण पत्र में अंकन किया गया है। जिसके अनुसार वादीया को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 355/6 की 6.325 हैक्टयर में हनुमानगढ़–मानकसर बाईपास रोड़ पर 1.10 बीघा चौड़ाई व उत्तर की ओर 1.00 बीघा लम्बाई में कृषि भूमि हस्तान्तरित की हुई है। इसी अनुसार जब विशिष्ट भूमि का अंकित काश्तकार द्वारा हस्तान्तरण किया गया है, जिस पर वह खरीद की दिनांक 20.05.1998 को विक्रेतागण द्वारा कब्जा सौंप दिये जाने से काबिज चली आ रही है, जिसकी वादीया ने चारदीवारी कर इसमें पक्का कमरा व पानी की टंकी का भी निर्माण किया हुआ है। वादीया पंजीबद्ध हस्तान्तरण पत्र अनुसार ही भूमि ग्रहण करने की और अपने नाम से घोषणा करवाने की विधिक रूप से पात्र है व इसी अनुसार विशिष्ट भूमि कुल खाते को विभाजित करवाने विशिष्ट भूमि का खाता अपने नाम से जमाबन्दी व राजस्व नक्शा में अंकित करवाने की अधिकारी है। पंजीबद्ध हस्तान्तरण पत्र किसी भी प्रकार से विवादित नहीं है। दस्तावेजी साक्ष्य है। वादीया ने दस्तावेजी साक्ष्य से संदेह से परे अपने कथन वाद पत्र में अपने व स्वतंत्र गवाह के साक्ष्य से भी सिद्ध किये हैं। अतः तनकी नं. 2 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 3 – आया वाद–पत्र में अंकित विवादित कृषि भूमि संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा तक अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब भूमि का ही विभाजन करवाने के अधिकारी हैं ? (प्रतिवादी सं. 2)

इस तनकी का भार प्रतिवादी नं. 2 पर था। प्रतिवादी सं. 2 के स्वयं के द्वारा अपने नाम से 3.00 बीघा यानि 0.759 है0 बारानी खातेदारी विशिष्ट कृषि भमि पंजीबद्ध दस्तावेज हस्तान्तरण पत्र दिनांक 20.05.1998 के द्वारा खरीद की

क्रमशः ..... पेज 7 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हुई है, जो इस प्रतिवादी के नाम के बैयनामा की पत्रावली में प्रस्तुत प्रमाणित प्रति में पृष्ठ सं. 4 पर अंकित नक्शा मौका से साबित है, जिसे प्रतिवादी द्वारा अदालत से स्वयं छिपाया गया है। प्रतिवादी नं. 2 को अदालत द्वारा काफी मौके वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु न्यायहित में व कोस्ट पर दिये जाने के बावजूद उसने ने ना तो किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत किया व ना ही किसी नियम अथवा न्याय निर्णय प्रस्तुत किया। केवल कथन किया कि अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब का खाता विभाजन किया जावे। स्वयं प्रतिवादी द्वारा सही तथ्य अदालत से छिपाये गये हैं। वह स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुआ है। प्रतिवादी की बहस मात्र मौखिक कथन से वादी के पंजीबद्ध दस्तावेजी साक्ष्य हस्तान्तरण पत्र के साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता। तनकी नं. 3 पुष्ट नहीं होने से विरुद्ध प्रतिवादी नं. 2 निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 4 – आया प्रतिवादी अपने नाम से कस्बा सूरतगढ़ की खसरा सं. 355/6 की 6.325 है0 में से अपने नाम से अंकित 3.162 है0 बारानी खातेदारी जवाबदावा की मद सं. 6 में अंकन अनुसार मौका पर कब्जा काश्त में चली आ रही का खाता विभाजन द्वारा अपना अलग खाता कायम करवाने का अधिकारी है ? (प्रतिवादी सं. 4)

इस तनकी का भार प्रतिवादी नं. 4 पर था। उनके द्वारा असल दस्तावेजों, स्वयं के शपथ–पत्र पर बयान कई अवसर दिये जाने के बावजूद पेश नहीं किये गये, इसलिये तनकी नं. 4 साक्ष्य द्वारा पुष्ट नहीं होने से यह विरुद्ध प्रतिवादी नं. 4 निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 5 – आया प्रतिवादी सं. 1/1 व 1/2 वादग्रस्त संयुक्त खाता की कृषि भूमि में अपने 0.127 है0 खातेदारी कृषि भूमि विभाजन द्वारा बाईपास सड़क पर व पीछे की तरफ प्राप्त करने के विधिक रूप से अधिकारी हैं ? (प्रतिवादी सं. 1/2)

इस तनकी का भार प्रतिवादी नं. 1/1 व 1/2 पर था। स्वतन्त्र गवाह अथवा दस्तावेजी साक्ष्य असल दस्तावेज प्रस्तुत ना होने व स्वयं के भी पुष्टि में कोई शपथ–पत्र और गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत ना होने से तनकी पुष्ट नहीं होती, इसलिए तनकी नं. 5 विरुद्ध प्रतिवादी नं. 5 निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 6 – आया प्रतिवादी सं. 3 वादग्रस्त संयुक्त खाता में अंकित कुल 6.325 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में 1.581 है0 की अंकित खातेदार है ? (प्रतिवादी सं. 3)

इस तनकी का भार प्रतिवादी नं. 3 पर था। उनके द्वारा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई, किन्तु उनके द्वारा असल दस्तोवज प्रस्तुत नहीं हुए। उनके द्वारा मात्र संयुक्त खाता में उनका नाम अंकित होना बताया है किन्तु उनके द्वारा अपना प्रतिदावा इस आधार पर वापिस ले लिया गया है कि उनके द्वारा चाहा गया अनुतोष उन्हें माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील सं. 131/2013 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2017 की पालना से रिकॉर्ड में अंकन होने से प्राप्त हो गया है, इसलिये प्रतिदावा वापिस ले लेने से यह तनकी मूल्यवान नहीं रही, फलरहित होने से तनकी नं. 6 का निर्णय करना उचित नहीं है।

क्रमशः ..... पेज 8 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी नं. 7 – आया प्रतिवादी सं. 3 के द्वारा अपने नाम से अंकित 1.581 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि पंजीबद्ध बैयनामा 21.02.1998 में अंकित नक्शानुसार खसरा नं. 355 / 6 में 1.581 है0 खरीदशुदा मौका पर कब्जा में चली आ रही विशिष्ट कृषि भूमि जो प्रतिवाद–पत्र की मद सं. 2 में अंकित अनुसार अपने आपको खातेदार कृषक घोषित करवाने और इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी व राजस्व नक्शा में तरमीम द्वारा अंकन करवाने की अधिकारी है ?

(प्रतिवादी सं. 3)

इस तनकी का भार प्रतिवादी नं. 3 पर था किन्तु इसे असल दस्तावेजी साक्ष्य व स्वयं और गवाहों के साक्ष्य से पुष्ट नहीं किया गया। इनके वारिसान के द्वारा उक्त तनकी सं. 6 में अंकन अनुसार प्रतिवाद को वापिस ले लिया गया है, इसलिए यह तनकी मूल्यवान नहीं रही, इसलिए यह फलरहित होने से निर्णित करनी उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी नं. 1 व 2 बहक वादी निर्णय की गई है जिसमें वादीया को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 355 / 6 (कम्प्यूटर द्वारा तैयार जमाबन्दियों में अंकित खसरा सं. 594 / 355) की 6.325 है0 भूमि में से 0.380 है0 भूमि का खातेदार पंजीबद्ध हस्तान्तरण पत्र दिनांक 20.05.1998 के आधार पर पूर्ण रुप से विशिष्ट भूमि का हस्तान्तरण ग्रहिता माना जा चुका है, मौके पर कब्जा स्वयं और स्वतंत्र गवाह के प्रस्तुत शपथ–पत्रों से सिद्ध हो चुका है। पंजीबद्ध हस्तान्तरण पत्र सार्वजनिक दस्तावेज की तारीफ में आता है। इसी मुताबिक उक्त अंकित खसरा में पंजीयन अभिलेख अनुसार हनुमानगढ़–मानकसर बाईपास रोड पर 1.10 बीघा पूर्व से पश्चिम चौड़ाई में व उत्तर की ओर 1.00 बीघा लम्बाई में, कुल 1.10 बीघा अर्थात् 0.380 बीघा बारानी भूमि, जिसका कब्जा मौका पर वादीया का खरीद की दिनांक से भौतिक रूप से चला आ रहा है, इस विशिष्ट भूमि का वादीया को खातेदार घोषित करते हुए, वादीया के नाम से राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में अलग खाता कायम करने और राजस्व नक्शा में तरमीम करने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम पारित किये जाते है और वादीया का नाम संयुक्त खाता से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेशों की पालना में डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11..01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

अनवान :–

जानी देवी पत्नी हेतराम जाति बिश्नोई निवासी ग्राम मानकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –वादी

बनाम

1. शिवराज पुत्र बेगाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (फौत)
   1/1. जयपाल
   1/2. रिछपाल
   1/3. कैलाश
   1/4. रामस्नेही
   } पुत्रगण/पुत्री स्व. शिवराज अकवाम बिश्नोई निवासी वार्ड सं. 11, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
   1/5. विष्णु
   1/6. विकास
   } पुत्रगण स्व. शिवराज अकवाम बिश्नोई निवासी 4 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. रामी देवी पत्नी धूंकलराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड सं. 15, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (फौत)
   2/1. रोशनी देवी पुत्री धूंकलराम पत्नी मनीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 26 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
   2/2. गोमती देवी पुत्री धूंकलराम पत्नी बलवन्तराम जाति बिश्नोई निवासी चक 26 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
   2/3. कृष्णलाल पुत्र धूंकलराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड सं. 15, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
   2/4. सावित्री देवी पुत्री धूंकलराम पत्नी ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी चक 57 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. कृष्णा देवी पत्नी हेतराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड सं. 15, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (फौत)
   3/1. हेतराम पुत्र लाधूराम
   3/2. सम्पत देवी पुत्री हेतराम
   3/3. संतोष देवी पुत्री हेतराम
   3/4. लक्ष्मी नारायण पुत्र हेतराम
   3/5. विष्णु पुत्र हेतराम
   } अकवाम बिश्नोई निवासीयान वार्ड सं. 15 सूरतगढ़ तहसील सूरतगगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. वली मोहम्मद पुत्र मनीर खां जाति मुसलमान निवासी पुराने बस स्टेण्ड के सामने वाली गली, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 53 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 135 वर्ष 2010 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादीया श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1/2 श्री सुभाष बिश्नोई, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 4 श्री राम प्रताप तिवाड़ी, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 2, 2/3 श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी एवं पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़ के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादीया स्वीकार किया जाकर वादीया को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 355/6 (कम्प्यूटर द्वारा तैयार जमाबन्दियों में अंकित खसरा सं. 594/355) की 6.325 है0 भूमि में से 0.380 है0 भूमि का खातेदार पंजीबद्ध हस्तान्तरण पत्र दिनांक 20.05.1998 के आधार पर, इस खसरा में हनुमानगढ़– मानकसर बाईपास रोड पर 1.10 बीघा पूर्व से पश्चिम चौड़ाई में व उत्तर की ओर 1.00 बीघा लम्बाई में, कुल 1.10 बीघा अर्थात् 0.380 बीघा बारानी भूमि , जिसका कब्जा मौका पर वादीया का खरीद की दिनांक से भौतिक रूप से चला आ रहा है, इस विशिष्ट भूमि का वादीया को खातेदार घोषित करते हुए, वादीया के नाम से राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में अलग खाता कायम करने और राजस्व नक्शा में तरमीम करने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम से पारित किये जाते हैं और वादीया का नाम संयुक्त खाता से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोज ....×......... मुबलिंग ....×......... बाबत ....×......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×.............. फसदों की पालना ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11.01.2024 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

वाद–पत्र सं. 135/2010 अनवान् : जानी देवी बनाम् शिवराज वगै0

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश-1 नियम-10 सपठित धारा-151 सी.पी.सी.

निर्णय दिनांक : 11.01.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.10.2023 हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी कृष्णलाल पुत्र श्री धूंकलराम प्रतिवादी संख्या 2/3 के द्वारा अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 सपठित धारा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कस्बा सूरतगढ़ की खसरा संख्या 355/6 की 6.325 है0 बारानी भूमि मुश्तरका खाता में बाईपास रोड़ के दक्षिण में स्थित है। प्रतिवादी सं. 3 के द्वारा अपनी भूमि सड़क के उत्तर दिशा में बताई है। जबकि यह भूमि नगरपालिका के नाम से अंकित है। अतिरिक्त कलैक्टर, सूरतगढ़ के द्वारा कमेटी गठित कर नपाई करवाई थी जिनके द्वारा हेतराम तरड़ का सड़क के उत्तर दिशा में अतिक्रमण बताया है जिसके सम्बन्ध में श्रीमान्जी के द्वारा अतिक्रमण हटाने को लिखा गया था। जो कि नगरपालिका सूरतगढ़ का रकबा है। इसलिये इस प्रकरण में नगरपालिका सूरतगढ़ आवश्यक पक्षकार है जिसे उक्त वाद पत्र में बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया जावे। उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब अप्रार्थी/वादी के द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खसरा संख्या 355/6 एक बड़ा खसरा है जिसमें 6.325 है0 खातेदारी रकबा अलग है। वादी के द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में संयुक्त खाता में अंकित 6.325 हैक्टयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि के विक्रेतागण से पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 20.05.1998 के द्वारा विशिष्ट भूमि 0.380 है0 बारानी खातेदारी खरीद की हुई है। जिसका अंकन बैयनामा में नक्शा मौका द्वारा भी किया हुआ है। जिस पर विक्रेतागण के द्वारा वादी को दिये गये कब्जानुसार ही मौका पर काबिज चली आ रही है। वादी ने अपनी भूमि पर चारदिवारी कर इसमें पक्का कमरा और पानी की टंकी का निर्माण किया हुआ है। जहां तक प्रतिवादी सं. 3 के द्वारा अतिक्रमण किये जाने और भूमि का कब्जा लिये जाने और भूमि के सम्बन्ध में श्रीमान्जी के द्वारा आदेश पारित किये जाने का प्रश्न है इस आदेश के विरूद्ध एक अपील सं. 131/2013 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष की गई थी। जिसे अदालत द्वारा दिनांक 08.12.2017 को स्वीकार कर लिया गया था और विशिष्ट भूमि जो उन्होंने खरीद की थी वह राजस्व रिकार्ड में उनके नाम से अंकित की जा चुकी है, जो कि वर्तमान जमाबन्दी से साबित है। वादी के विरूद्ध भी तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर बेदखल करने के आदेश पारित किये गये थे। लेकिन पुनः नपाई करवाये जाने पर वादी के प्रार्थना–पत्र प्र. सं. 112/2012 में श्रीमान् तहसीलदार सूरतगढ़ के द्वारा इस रिव्यू प्रकरण में दिनांक 12.03.2012 को आदेश पारित करते हुये वादी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया था। वादी के द्वारा अपनी खरीद की हुई अपने कब्जा काश्त में चली आ रही भूमि जो राजस्व रिकार्ड में गलती से संयुक्त खाता में अंकित कर दी गई उसकी घोषणा का वाद पेश कर रखा है। जेरवाद भूमि खातेदारी है ना कि राजकीय भूमि है जो कि राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी का अवलोकन से प्रथम दृष्टया साबित है। जेरवाद भूमि में नगरपालिका सूरतगढ़ से वादी के द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा है। नगरपालिका सूरतगढ़ किसी भी प्रकार से वादी के वाद–पत्र में ना तो हितबद्ध है और ना ही वह आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादी के द्वारा जान बूझकर निर्णय में विलम्ब करने की गर्ज से अपना यह प्रार्थना–पत्र वाद–पत्र में अंतिम बहस होने के पश्चात प्रस्तुत किया गया है। वादी के वाद–पत्र में उसकी इच्छा के विरूद्ध नगरपालिका सूरतगढ़ को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है, इसलिये प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाया जावे। उक्त दोनों पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा अपनी बहस, प्रार्थना–पत्र व जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को बताया गया।

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया गया। वादी के द्वारा अपना वाद–पत्र कस्बा सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 2067 की संयुक्त खाता संख्या 185 नई 176 पुरानी में अंकित खसरा सं. 355/6 में 6.325 हैक्टयर बारानी खातेदारी में अपने नाम से अंकित 0.380 है0 बारानी खातेदारी भूमि जो कि उसके द्वारा पंजीबद्ध बैयनामा के द्वारा विशिष्ट खातेदारी इस दस्तावेज में अंकित नक्शा मौका केक अनुसार खरीद के समय प्राप्त कब्जानुसार घोषणा और राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का पेश कर रखा है। इस खाता में नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम भूमि अंकित नहीं है। वादी के विरूद्ध तहसीलदार सूरतगढ़ के द्वारा बेदखली की कार्यवाही की गई थी। इसके पश्चात इस वाद–पत्र में प्रस्तुत प्रमाणित प्रति प्र. सं. 112/2012 रिव्यू प्रार्थना–पत्र में दिनांक 12.03.2012 को आदेश पारित कर स्वीकार कर लिया गया था से पूर्णतया साबित है। स्वयं प्रतिवादी कृष्णलाल की माता के द्वारा भी पंजीबद्ध बैयनामा के द्वारा विशिष्ट भूमि खरीद की हुई है। प्रतिवादी द्वारा जो हेतराम द्वारा भूमि पर अतिक्रमण करना बताया जा रहा है वह इस अदालत द्वारा पारित आदेश को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा निरस्त कर विशिष्ट भूमि उसकी पत्नी कृष्णा देवी के नाम से अंकन किये जाने के पारित आदेशों की पालना में चालू जमाबन्दी कस्बा सूरतगढ़ के उक्त खातेदारी रकबा में विशिष्ट भूमि अंकित की जा चुकी है। जो कि वर्तमान जमाबन्दी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया साबित है। उक्त खसरा संख्या 355/6 में 107.435 है0 रकबा राज संलग्न जमाबन्दी की खाता सं. 1 की नकल से साबित है। जबकि वादी का खातेदारी रकबा अलग है। प्रतिवादी के द्वारा अपना प्रार्थना–पत्र केवल मात्र इस 2010 से चल रहे पुराने प्रकरण को निर्णित होने में विलम्ब कारित की गर्ज से प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। प्रतिवादी के द्वारा अपने इस प्रार्थना–पत्र में सही तथ्यों का छिपाव करते हुये उसके द्वारा स्वच्छ हाथों से अपना प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में नगरपालिका सूरतगढ़ किसी भी प्रकार से हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होना प्रतीत नहीं होने से प्रतिवादी कृष्णलाल के प्रार्थना–पत्र पर उसे पक्षकार बनाया जाना कतई न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी कृष्णलाल के द्वारा दिनांक 04.10.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 सी.पी.सी. का रिकार्ड व नियम विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने के कारण न्यायहित में इसे अस्वीकार करते हुये निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

आज दिनांक 11.01.2024 को मेरे द्वारा यह आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)